संख्या: 18–चार–एम/ XXXVI(1)/07–193जी/01–टी.सी

प्रेषक,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर ।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक : 03 जनवरी, 2008

विषय: श्री चरनजीत सिंह, अधिवक्ता को जिला उधमसिंह नगर में, जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के पद पर आबद्ध किया जाना ।

महोदय,

जिला उधमसिंह नगर में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के पद हेतु विधि व्यवसायियों का पैनल उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने पत्र संख्या 111/29–रा0 सहा0/2007 दिनांक 28.11.2007 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री चरनजीत सिंह, अधिवक्ता को जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) उधमसिंह नगर के पद पर शासनादेश संख्या–135– एक(1) /XXXVI(1)/2006, दिनांक 26 सितम्बर, 2006 द्वारा निर्धारित फीस की दरों पर प्रतिधारक के रूप में आबन्धन–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिए आबद्ध किया जाता है । उनका आबन्धन–पत्र संलग्न है ।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित अधिवक्ता के आबन्धन–पत्र उन्हें तुरन्त उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित सहमति/आयु का प्रमाण–पत्र, अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा उनके आवास का विवरण प्राप्त कर शासन को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें ।

4– श्री चरनजीत सिंह यदि इस समय शपथ–आयुक्त, नोटरी या इस प्रकार के अन्य किसी शासकीय पद अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत हों, तो उनसे उक्त पद से त्याग पत्र प्राप्त कर इसकी सूचना शासन को भी दी जाय ।

5– मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि यदि आबंधित अधिवक्ता लिखित सहमति तथा अपेक्षित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें तो आप न्यायालय का कार्य जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के रूप में उक्त अधिवक्ता से प्रारम्भ करा दें ।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

(आर0 डी0 पालीवाल)
सचिव ।

संख्या: 18–चार–एम/XXXVI(1)/07–193 जी/01 टी.सी–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2– जिला न्यायाधीश, उधमसिंह नगर ।
3– कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर ।
4– श्री चरनजीत सिंह, अधिवक्ता, बाजपुर जिला उधमसिंह नगर ।
5– निजी सचिव मा. मुख्य मंत्री जी/एन.आई.सी./गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।